8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.-0744423258

GCMS NO.-2024/297
मिसल नम्बर-83/2024

गोलू नागर आत्मज श्री बालकिशन जाति धाकड़ निवासी ग्राम गंदीफली, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.

प्रार्थी।

बनाम

1.जगन्नाथ पुत्र माधो लाल जाति माली निवासी गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2.बृजगोपाल नागर पुत्र हरनारायण नागर जाति धाकड निवासी मकान नम्बर 536 सुभाष नगर मुक्तिधाम कोटा राज.

3.सत्यनारायण नागर पुत्र श्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी मकान नंबर 220 शिव मंदिर के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कोटा

4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 11/8/25

उपस्थिति:–

1.श्री ललित नागर अधिवक्ता प्रार्थी ।
2.श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता।
3.श्री महावीर गुप्ता, अप्रार्थी नं0 2 व 3 अधिवक्ता।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी, कब्जेकाश्त की भूमि ग्राम गंदीफली, पटवार हल्का गंदीफली, भू. अभि. निरी. क्षेत्र केथून तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 715/308 की रकबा 0.24 है. खसरा नम्बर 717/716 की रकबा 0.88 है० कुल किता 2 की रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि स्थित चली आ रही है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 715/308 व 717/716 पर जाने वाला रास्ता मुख्य रोड़ कोटा सांगोद रोड़ से होकर खसरा नम्बर 309 की उत्तर–पश्चिमी मेढ पर होते हुए खसरा नम्बर 718/716 की उत्तरी–पश्चिमी मेंढ़ पर होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी पर कृषि कार्य करने हेतु कृषि यंत्र इत्यादि लेकर आता–जाता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की आराजी में जाने आने का एक मात्र रास्ता है। उक्त रास्ते अलावा प्रार्थी की आराजी में जाने आने का अन्य कोई रास्ता नहीं रहा है और ना ही आज है। उक्त रास्ते को ही प्रार्थी अपने आराजी पर आने जाने व फसल आदि लाने जाने के लिए उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। अब अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने–जाने में रास्ते का उपयोग–उपभोग करने में व्यवधान उत्पन्न करने लगे है और प्रार्थी को अप्रार्थीगण उनकी खातेदारी की भूमि पर मेढ पर होकर आने–जाने, कृषि यंत्र लाने–ले जाने व फसल इत्यादि लेकर ट्रेक्टर को आने–जाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि वह रास्ते को बंद कर देगें। चूंकि उक्त रास्ते वाली भूमि अप्रार्थीगण के खाते वाली भूमि है। अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 309 व खसरा नम्बर 718/716 के उत्तरी–पूर्वी मेड पर होकर कृषि कार्य करने हेतु कृषि यंत्र, फसल इत्यादि लेकर आता–जाता रहा है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यांतिक आधारभूत आवश्यकता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के रास्ते वाली भूमि पर फसल की बुवाई करते हुए रास्ते बंद करने का प्रयास किया जा रहा है और जब भी प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि की मेड पर होकर अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु कृषि यंत्र इत्यादि लेकर जाता है तो प्रार्थी को अप्रार्थीगण अपनी खेत की मेढ पर होकर रास्ते का उपयोग करने से रोकते है एवं लडाई–झगडा करने पर आमादा रहते है और अभी–अभी दिनांक 20–2–2023 को रास्ते पर से निकलने को लेकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ लडाई–झगडा करते हुए धमकी दी कि प्रार्थी को उनके खेत की मेढ पर होकर नहीं निकलने देगें। प्रार्थी, अप्रार्थीगण को रास्ते में आने वाली भूमि का मुआवजा राशी बतौर क्षतिपूर्ति नियमानुसार अदा करने को तैयार व तत्पर है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने के लिए आने–जाने हेतु कृषि यंत्र लाने–ले जाने हेतु फसल की कटाई करने के लिए कंबाईन मशीन आदि लाने–ले जाने हेतु 20 फीट का रास्ता अप्रार्थीगण से दिलवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी, कब्जेकाश्त की भूमि ग्राम गंदीफली, पटवार हल्का गंदीफली, भू. अभि. निरी. क्षेत्र केथून तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 715/308 की रकबा 0.24 है. खसरा नम्बर 717/716 की रकबा 0.88 है० कुल किता 2 की रकबा 1.12 हैक्टेयर पर आने–जाने, कृषि कार्य करने, कृषि यंत्र लाने–ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 309 व खसरा नम्बर 718/716 ग्राम गंदीफली तहसील लाड़पुरा जिला कोटा पर कोटा सांगोद मुख्य रोड़ से 20 फीट की चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जावे एवं रास्ते में आने वाली भूमि का मुआवजा डीएलसी रेट के अनुसार निर्धारित कर अप्रार्थीगण को दिलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते में आने वाली भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे।

प्रतिवादी क्रम 1 श्री जगन्नाथ की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार हैः–प्रार्थी की आराजी में आने जाने का एकमात्र रास्ता इस चरण में लिखे अनुसार खसरा नंबर 309 की उत्तरी पश्चिमी मेढ से होते हुए खसरा नंबर 718/716 की उत्तरी पश्चिमी मेढ पर होना तथा उस रास्ते को ही प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर आने–जाने व फसल आदि लाने ले जाने के लिए उपयोग उपभोग में लेते चले आना स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि खसरा नंबर 309 के समीपस्थ खसरा नंबर 311 की भूमि है जो प्रार्थी के ही परिवार की भाई बन्धुओ की आराजी है। पूर्व से ही प्रार्थी व उसके पिता उक्त खसरा नंबर 311 की भूमि में भाई बंटवारे में मिले रास्ते में होकर ही अपने खेत में आते जाते रहे हैं तथा खसरा नंबर 311 की भूमि में होकर ही कृषि यंत्र, फसल आदि लाने ले जाने के लिए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी लाडपुरा * कोटा *)

उपखण्ड अधिकारी
की .र

प्रतिपक्षी संख्या 1 के खाते की आराजी खसरा नंबर 309 में पिछले 15 वर्षों से मुख्य सडक की ओर तार फेंसिंग हो रही है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के खाते की आराजी में तथाकथित रूप से रास्ते के रूप में उपयोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिपक्षी संख्या 1 के खाते की आराजी में होकर प्रार्थी का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। इस कारण प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा उपरोक्तानुसार तथाकथित रास्ते में व्यवधान पैदा करने अथवा प्रार्थी को धमकाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी के उक्त तथ्य पूर्णतया मिथ्या, मनगढंत व निराधार हैं। यहां यह महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के तथाकथित अभिवचनों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार साहब लाडपुरा के श्रवण अधिकार योग्य है। माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 251 (क) के तहत उक्त आवेदन पोषणीय [Maintainable] नहीं है तथा इस कारण निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य प्रार्थना पत्र के अन्य चरण में वर्णित तथ्यों से भिन्न तथा विरोधाभासी हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में तथाकथित रूप से खसरा नंबर 309 की उत्तरी पश्चिमी मेढ से होकर रास्ता होना जाहिर किया है जबकि इस चरण में तथाकथित रूप से खसरा नंबर 309 की उत्तरी पूर्वी मेढ पर होकर रास्ता होना बताया है जो स्वतः ही मनगढंत रूप से अंकित किया जाना प्रमाणित है। वास्तविकता में प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु अर्सा पूर्व से खसरा नंबर 311 में होकर रास्ता विद्यमान है। इस कारण प्रार्थी प्रतिपक्षी संख्या 1 के खाते की खसरा नंबर 309 में होकर नया रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 2 व 3 के साथ दूरभि संधि करते हुए दुर्भाविक आशय से मिथ्या एवं मनगढ़ंत रूप से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सारहीन होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 309 की समीपस्थ उक्त खसरा नम्बर 311 के खातेदार जो कि प्रस्तुत आवेदन मे आवश्यक पक्षकार है उन्हें दुर्भावनापूर्वक आशय से पक्षकार नही बनाया गया है और तथाकथित रूप से खसरा नम्बर 309 की उत्तर मेढ से होकर रास्ता जाहिर करने के बावजूद मेढ के समीपस्थ खसरा नम्बर 311 की भूमि में से कोई अनुतोष नही चाहा है। इससे प्रार्थी की दुर्भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उक्त खसरा नम्बर 311 के खातेदारान को पक्षकार बनाए बिना तथा उक्त खसरा नम्बर 311 की आराजी मे से रास्ते का अनुतोष चाहे बिना प्रार्थी का यह आवेदन प्राकृतिक न्याय की सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु पूर्व से ही खसरा नंबर 311 की भूमि में होकर रास्ता विद्यमान है इस कारण वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से प्रार्थी को नया रास्ता उक्त खसरा नंबर 309 की भूमि में से कायम करवाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस कारण मौके की वास्तविक स्थिति भी जैसे कि वैकल्पिक मार्ग का अस्तित्व है अथवा नही, आवश्यकता अत्यान्तिक [Absolute] है अथवा नहीं, आदि बाबत विधि सम्मत मौका रिपोर्ट प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 1 की उपस्थिति में मंगवाया जाना आवश्यक एवं विधि संगत है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
को.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे पेश किया गया था जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.12.2023 को निर्णय पारित करते हुये अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया था। तदोपरांत प्रार्थी ने न्यायालय हाजा के निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरण कोटा मे की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने दिनांक 23.08.2024 को यह निर्णय पारित किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 20/2023 **(GCMS No. 2023/76)** मे पारित निर्णय दिनांक 07.12.2023 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, रास्थान काश्तकारी अधिनियम (सरकारी) नियम 1956 के नियम 68 से 70 के प्रकाश में नवीन निर्णय पारित करे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरण से प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये नवीन निर्णय पारित करने के निर्देश सहित पत्रावली न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई जो दर्ज रजिस्टर की गई तथा अप्रार्थीगण की जर्ये नोटिस तलबी की गई। तथा तहसीलदार लाडपुरा को तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया।

प्रतिवादी क्रम 4 तहसीलदार लाडपुरा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो निम्ननुसार है:– उक्त भूमि पर पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति मे पूर्व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा नियमानुसार नया रास्ता कायम करने के लिए रिपोर्ट पूर्व मे ही प्रस्तुत की जा चुकी है। रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 309 व 718/716 मे से पूर्व दिशा की ओर से रास्ता प्रस्तावित किया गया था परन्तु खसरा नम्बर 309 से अगर पश्चिम दिशा की ओर से रास्ता दिया जाता है तो रास्ते की दूरी कम हो जाती हे। जिसकी स्थिति निम्न है:– पूर्व मे प्रस्तावित खसरा संख्या 309 की पूर्व की दिशा की लम्बाई लगभग 106 मीटर है जबकि उक्त खसरा संख्या की पश्चिम दिशा की लम्बाई लगभग 72 मीटर है एवं खसरा संख्या 718/716 की दिशा की लम्बाई लगभग बराबर है ऐसी स्थिति मे अगर पश्चिम की तरफ से रास्ता कायम किया जाता है तो खसरा संख्या 309 के खातेदारों का रकबा कम प्रभावित होगा।

प्रतिवादी क्रम 1 श्री जगन्नाथ की ओर से तहसीलदार लाडपुरा की दिनांक 17.01.2024 की मौका रिपोर्ट के आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है:–न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेशित रिमाण्ड निर्देशो के अनुसार पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया गया था।

स्पष्ट रिमाण्ड निर्देशो के बावजूद तहसीलदार साहब द्वारा विवादित स्थल का निरीक्षण करने से पूर्व प्रतिपक्षी को न तो सूचित किया गया और ना ही मौके पर उपस्थिति बाबत कोई नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार साहब द्वारा स्वयं मौका

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

भी नहीं देखा गया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 27.12.2024 आई.एल.आर. व पटवारी हल्का द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से मनमाने तौर पर मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत तैयार की गई है जिस पर किसी भी प्रभावित पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है जो पूर्णतया एकपक्षीय भेदभावपूर्ण व त्रुटिपूर्ण होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उक्त मौका रिपोर्ट Rajasthan Tenancy (Govt.) (Amend.) Rules 2012 के नियम 69 के प्रावधानो के विपरीत होने से तथा सद्भाविक रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उक्त मौका रिपोर्ट में तथाकथित रूप से ख0नं0 309 की पश्चिम दिशा से रास्ता दिया जाना सुगम होना अंकित किया है किन्तु ख0नं0 309 के समीपस्थ खातेदारान का रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता नहीं होना उल्लेखित किया है जबकि वास्तविकता में प्रार्थी पूर्व में ख0नं0 311 जो कि उसके भाई बन्धों के खाते की भूमि है में से होकर आता जाता रहा है तथा वर्तमान में भी आता जाता है। इस संबंध में आई.एल.आर. द्वारा कोई जांच नहीं की गई है और मानमाने तौर पर वैकल्पिक रास्ता नहीं होना अंकित किया है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है :– प्रार्थना–पत्र असत्य व बनावटी होने से अस्वीकार है। पूर्व में भी अप्रार्थी को तहसील कार्यालय से मौका रिपोर्ट लेने के पूर्व नोटिस जारी किये गये थे और डिमाण्ड होने के बाद वैकल्पिक रास्ते सम्बंध में रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व भी अप्रार्थी को मौके पर उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया था, परंतु अप्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर रिपोर्ट तहसीलदार लाड़पुरा के यहां से सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में यह लिखा है कि मौके की वास्तविक स्थिति के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की है, परंतु यह नहीं बताया कि मौके की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2024 किन कारणों से मौके की स्थिति के विरूद्ध है। चूंकि रिपोर्ट मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार प्रस्तुत हुई है। ऐसी स्थिति में इस मद में लिखे गये तथ्य व आरोप असत्य व बनावटी हो जाते हैं।

प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर 3 जिस प्रकार लिखी गई है, अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि रिपोर्ट नियम 69 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हो। अप्रार्थी प्रकरण में विलम्ब पैदा करने और कोई ना कोई बहाना बनाकर लिंगर ऑन करना चाहता है और प्रकरण का निर्णय नहीं होने दे रहा है। मौके की रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई है, वह वास्तविक है, उसमें क्या गलती है, रिपोर्ट किस प्रकार से मौके की स्थिति के विपरीत है। यह कहीं भी प्रार्थना–पत्र में नहीं लिखा है।

तहसील लाड़पुरा से जो रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुई है, उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि पूर्व मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया रास्ता खसरा नम्बर 309 में से पूरब दिशा की ओर बताया है और यदि खसरा नम्बर 309 में पश्चिम दिशा की ओर रास्ता दिया जाता है तो वह लम्बाई में कम दूरी होगी। इस प्रकार रिपोर्ट में भी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.

स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूरब दिशा की ओर लम्बाई 106 मीटर है और पश्चिम दिशा की ओर लम्बाई में 72 मीटर है। इस प्रकार पश्चिम दिशा की ओर रास्ता कायम करना प्रस्तावित किया गया है। जहां तक समीपस्थ खातेदारों का हवाला मौका रिपोर्ट में नहीं दिये जाने का प्रश्न है, उस सम्बंध में निवेदन है कि पूरब दिशा की ओर खसरा नम्बर 311 में सड़क से बिल्कुल खसरा नम्बर 309 के लगवा कुंआ स्थित है, जो खसरा नम्बर 310 के रूप में स्थित है और पश्चिम दिशा की ओर खसरा नम्बर 309 के लगवा खसरा नम्बर 307 में कुंआ स्थित है, जो खसरा नम्बर 308 के रूप में गै०मु० चाही के रूप में दर्ज है। इस प्रकार खसरा नम्बर 309 के दोनों ओर पूरब व पश्चिम दिशा की तरफ कुंआ होने से समीपस्थ खातेदारान उल्लेख किया जाना आवश्यक नही है और यह सम्पूर्ण स्थिति माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां प्रस्तुत होने के बाद ही प्रकरण को माननीय न्यायालय में रिमाईण्ड किया था। इस मद में यह कहना गलत है कि प्रार्थी पूर्व में या कभी भी खसरा नम्बर 311 में आता–जाता हो। यह तथ्य अप्रार्थी बनावटी रूप से अंकित कर रहा है।

प्रतिवादी क्रम 4 तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो निम्ननुसार है:– वादी खसरा संख्या 717/716 मे पहुच के लिए कोटा से सांगोद मुख्य सड़क से खसरा संख्या 309 रकबा 0.83 है0, 715/308 रकबा 0.24 है0 तथा खसरा संख्या 718/716 रकबा 0.20 है0 मे से होता हुआ रास्ता चाहता है। रिकोर्ड अनुसार खसरा संख्या 309 जगन्नाथ पुत्र श्री माधोलाल जाति माली व खसरा संख्या 718/716 बृजमोहन पुत्र श्री हरनारायण हिस्सा 1/2, सत्यनारायण पुत्र श्री रामगोपाल जाति धाकड व खसरा संख्या 715/308 वादी गोलू के नाम दर्ज रिकोर्ड है। वादी को खसरा संख्या 717/716 पर पहुच के लिए खसरा संख्या 309 की पश्चिमी मेढ के सहारे से निकटतम दूरी लगभग 72 मीटर एवं खसरा संख्या 715/308 व 718/716 की पश्चिमी मेढ के सहारे सहारे रास्ता दर्ज करने पर खसरा संख्या 715/308 की दूरी लगभग 24 मीटर व खसरा संख्या 717/718 की पश्चिमी मेढ की दूरी लगभग 24 मीटर आती है। प्रार्थी के खते पर पहुचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। खसरा संख्या 309 के खातेदार उक्त रास्ता देने मे सहमत नही है।

प्रतिवादी क्रम 1 श्री जगन्नाथ की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति रिपोर्ट कमिश्नर दिनांक 02.05.2025 प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है:– उक्त प्रकरण मे आई एल आर द्वारा मौका व रिकार्ड की वास्तविकत स्थिति का अवलोकन किये बिना ही केवल प्रार्थी को फायदा पहुंचाने की नियत से पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है।

उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 2.05.2025 मे ग्राम गन्दीफली की खसरा नम्बर 309 की पश्चिम दिशा से रास्ता कायम किया जाना सुगम व नजदीकी होना अंकित किया है, किन्तु खसरा नम्बर 309 के समीपस्थ पश्चिम दिशा के खसरा नम्बर 306 का उक्त रिपोर्ट मे जानबूझकर उल्लेख नही किया है।

वास्तविकता मे खसरा नम्बर 309 के समीपस्थ खसरा नम्बर 306 व 307 की भूमि अप्रार्थी क्रम 1 जगन्नाथ पुत्र माधो के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

खसरा नम्बर– 307 की भूमि मे अप्रार्थी क्रम–1 का कुआं स्थित है, जिससे अप्रार्थी क्रम–1 अपने उक्त खाते की खसरा नम्बर– 306 व 309 की भूमि को सिंचित करता है । खसरा नम्बर 309 की पश्चिमी मेड से होकर तथाकथित नया रास्ता कायम किये जाने की सूरत मे अप्रार्थी क्रम–1 की खाते की खसरा नम्बर–309 व 306 की भूमि दो भागों मे विभक्त हो जावेगी, जिससे अप्रार्थी क्रम–1 को सिंचाई करने में असुविधा होगी। अप्रार्थी क्रम–1 के उक्त दोनो खेत दो फाड़ हो जाने से अप्रार्थी क्रम 1 के खेतों की वेल्यू क्रम हो जावेगी, तथा दोनो खेतों की उपयोगिता प्रभावित होगी। और अप्रार्थी क्रम–1 के साम्पतिक अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित होगें। अप्रार्थी क्रम 1 के खाते एवं कब्जे के उक्त खसरा नम्बर– 306 व 309 के मध्य से उक्त तथाकथित नया रास्ता कायम कर दो फाड़ किया जाना प्राकृति न्याय के सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत है। आई एल आर द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट मे जानबूझकर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख नही कर, उनका लोप किया है, इस कारण उक्त मौका रिपोर्ट मनमानी व पक्षपातपूर्ण होने से अवैध व त्रुटिपूर्ण है ।

वास्तविकता मे प्रार्थी पूर्व मे खसरा नम्बर 311 जो कि उसके भाई बन्धो के खाते की भूमि है, मे से होकर अपने खाते की भूमि मे आता जाता रहा है, तथा वर्तमान मे भी उसी रास्ते से आता जाता है। इस सम्बन्ध मे आई एल आर द्वारा कोई जांच नही की गई है, और मनमाने तोर पर मौके की स्थिति के विपरीत वैकल्पिक रास्ता नही होना अंकित किया है।

आई एल आर द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेशित रिमाण्ड निर्देशो की पालना नही की गई है, इस कारण रिमाण्ड निर्देशो के अनुरूप नये सिरे से मौका रिपोर्ट तलब कर प्रकरण मे न्यायोचित कार्यवाही अमल में लाया जाना आवंश्यक एवं विधि सम्मत है ।

अतः प्रार्थना–पत्र आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 2.05.2025 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध मे अप्रार्थी क्रम–1 की आपत्ति दर्ज कर प्रकरण मे उचित कार्यवाही किये जाने की कृपा करें ।

प्रार्थी ने अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत आपत्ति रिपोर्ट कमिश्नर दिनांक 02.05.2025 का जवाब प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है :– प्रार्थना पत्र की मद नम्बर–2 मनगढंत, बनावटी होने से अस्वीकार है। मौका रिपोर्ट माननीय न्यायालय के आदेश से उभय पक्षकारान को तहसील लाडपुरा कोटा के यहां से नोटिस तामील करवाने के बाद पक्षकारान की उपस्थिति में वास्तविक रूप से मौके पर जाकर तैयार की गई है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट प्रार्थी को फायदा पहुंचाने के उददेश्य से तैयार किए जाने के आरोप असत्य है, दुर्भावनापूर्ण है। केवल प्रकरण का निर्णय नहीं होने देने के दुर्भाविक उददेश्य से रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है।

प्रार्थना पत्र की मद नम्बर–3 मनगढंत होने से अस्वीकार है। माननीय न्यायालय के समक्ष संपूर्ण नक्शा प्रस्तुत है। खसरा नम्बर 309 के पश्चिम दिशा में रास्ता प्रस्तावित कर दिया है। जहां तक खसरा नम्बर 306 का प्रश्न है वह अलग खाता नम्बर की भूमि है जिसकी मेढ़ पर खसरा नम्बर 307 के रूप में कुआं स्थित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

इसलिए खसरा नम्बर 309 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इसलिए इस मद में यह कहना कि खसरा नम्बर 306 का उल्लेख नहीं किया गया इसका कोई औचित्य नही रह जाता है।

प्रार्थना पत्र की मद नम्बर–4 बनावटी मनगढंत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 306 व खसरा नम्बर 309 अलग–अलग भूमियां हैं। जिनके अलग–अलग नक्शे हैं। जिनके मध्य में मेढ है। इसलिए यह कहना कि भूमि दो भागो में विभक्त हो जाएगी गलत, असत्य हो जाता है। चूंकि पूर्व से ही दोनो भूमियां अलग–अलग है जिनकी खाता संख्या अलग–अलग हैं। रास्ता मध्य में कायम होने से भूमि की कीमत बढेगी न कि वेल्यू कम होगी। इसलिए यह कहना कि अप्रार्थी के साम्पत्तिक अधिकार प्रभावित होगें गलत व बनावटी हो जाता है। जहां तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सवाल है माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है और अपील न्यायालय के आदेश की पालना में माननीय न्यायालय द्वारा रिपोर्ट तैयार करवाई गई है। पूर्व में भी अप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की थी। जिस पर पुनः रिपोर्ट माननीय न्यायालय द्वारा मंगवाई गई है। जिस पर नियमानुसार दिनांक 2–5–2025 को रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जो किसी भी प्रकार से मौके की स्थिति के विपरीत नहीं है। माननीय न्यायालय के समक्ष तीन बार रिपोर्ट तहसील लाडपुरा से मौके पर जाकर तैयार करते हुए प्रस्तुत की गई है। जो अप्रार्थी की आपत्ति पर प्रस्तुत हुई है। अब अप्रार्थी को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रार्थना पत्र की मद नम्बर– 5 बनावटी मनगढंत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 311 प्रार्थी के भाई बंधुओं की भूमि नहीं है और ना ही प्रार्थी कभी उक्त भूमि पर आता–जाता रहा है एवं ना ही वर्तमान में आ जा रहा है। खसरा नम्बर 311 पर कोटा सांगोद रोड से खसरा नम्बर 309 की लगवा गैर मुमकिन कुआं खसरा नम्बर 310 के रूप में स्थित है। इसलिए वहां से होकर रास्ता होने या आने–जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह संपूर्ण तथ्य अप्रार्थी प्रकरण में केवल विलंब पैदा करने के दुर्भाविक उददेश्य से बनावटी अंकित कर रहा है।

प्रार्थना पत्र की मद नम्बर–6 बनावटी मनगढंत होने से अस्वीकार है। मौका रिपोर्ट दिनांक 2–5–2025 अपील न्यायालय के निर्णय दिनांक 23–8–2023 के निर्देशानुसार उभय पक्षकारान की उपस्थिति में सूचित कर तैयार की गई है और अपील न्यायालय द्वारा भी माननीय न्यायालय को उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर उसके बाद आपत्ति का अवसर देने के पश्चात निर्णय पारित करने के लिए निर्देश दिये है। माननीय न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट आने के बाद प्रार्थी की बहस सुन ली गई है और अप्रार्थी की बहस के लिए तारीख पेशी दिनांक 27–5–2025 नियत की गई थी उस दिन अप्रार्थी ने बहस ना कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे कि प्रकरण में विलंब हो और प्रकरण का निर्णय ना होने दिया जावे। जबकि अप्रार्थी को अपनी संपूर्ण आपत्तियों को

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बहस में उठाने का अधिकार है ना कि पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का। इस आधार पर प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी ने अपील न्यायालय से प्रकरण रिमाण्ड होकर आने के बाद मौका रिपोर्ट दिनांक 27–12–2024 प्रस्तुत होने के बाद मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की थी। जिसमें भी इस प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियों को उठाया गया था। पुनः उन्हीं तथ्यो को अंकित करते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो चलने योग्य नही है और धारा 11 सीपीसी से बाधित है। चूंकि प्रार्थना पत्र पर भी रेस्जुडिकेटा लागू होता है। चूंकि पूर्व में अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है अब अप्रार्थी को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का अधिकार नही है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी प्रकरण को अनंतकाल के लिए लंबित रखना चाह रहा है। जिससे कि प्रार्थी को अपनी भूमि रास्ते के अभाव में पड़त रखवाते हुए क्षति पहुंचाई जा सके। प्रकरण में तीन बार मौका रिपोर्ट आ चुकी है। अब चौथी बार रिपोर्ट मंगवाने का आवेदन पेश किया है जो किसी भी प्रकार से कानूनन संभव नही है।

तहसील कार्यालय से रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार तैयार होकर प्रस्तुत हुई है। जो किसी भी प्रकार से पक्षपातपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण होने से विशेष हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि खसरा संख्या 311 से हमारा कोई संबंध नही हैं खसरा संख्या 311 घुसते ही कुआं है इस कारण इस स्थान पर रास्ता नही दिया जा सकता है। इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित किया गया रास्ता खसरा संख्या 309, 306 दोनों की मेढ पर से नही दिया जा सकता क्योकि उसमे आगे सीमा पर कुआं है जो राजस्व रिकोर्ड मे स्पष्टतया अंकित है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि खसरा संख्या 311 उनके परिवार की भूमि है तथा इसी खसरे मे से प्रार्थीगण आते जाते है। साथ ही विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी न्यायिक दृष्टान्त 2022–23 आरआरटी 282 प्रस्तुत किया गया है जिसमे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित किया गया है कि रास्ते के मामले मे लघुत्तम और नजदीक से नजदीक रास्ता दिये जाने की व्यवस्था है लेकिन उसका तात्पर्य यह नही निकाला जा सकता कि किसी व्यक्ति की जोत मे से रास्ता लेकर भूमि को दो भागों मे विभाजित कर दिया जावे। उक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि खसरा संख्या 309 व 306 की मेढ़ से रास्ता दिये जाने पर उसका खेत दो भागों मे विभाजित हो जाता है। अतः इस स्थान से नया रास्ता नही दिया जा सकता है। अतः रिमाण्ड निर्देशों के अनुरूप पुनः रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

हमने पत्रावली मे सलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बहस में उठाने का अधिकार है ना कि पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का। इस आधार पर प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी ने अपील न्यायालय से प्रकरण रिमाण्ड होकर आने के बाद मौका रिपोर्ट दिनांक 27–12–2024 प्रस्तुत होने के बाद मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की थी। जिसमें भी इस प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियों को उठाया गया था। पुनः उन्हीं तथ्यो को अंकित करते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो चलने योग्य नहीं है और धारा 11 सीपीसी से बाधित है। चूंकि प्रार्थना पत्र पर भी रेस्जुडिकेटा लागू होता है। चूंकि पूर्व में अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है अब अप्रार्थी को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का अधिकार नही है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी प्रकरण को अनंतकाल के लिए लंबित रखना चाह रहा है। जिससे कि प्रार्थी को अपनी भूमि रास्ते के अभाव में पड़त रखवाते हुए क्षति पहुंचाई जा सके। प्रकरण में तीन बार मौका रिपोर्ट आ चुकी है। अब चौथी बार रिपोर्ट मंगवाने का आवेदन पेश किया है जो किसी भी प्रकार से कानूनन संभव नही है।

तहसील कार्यालय से रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार तैयार होकर प्रस्तुत हुई है। जो किसी भी प्रकार से पक्षपातपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण होने से विशेष हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि खसरा संख्या 311 से हमारा कोई संबंध नही हैं खसरा संख्या 311 घुसते ही कुआं है इस कारण इस स्थान पर रास्ता नही दिया जा सकता है। इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित किया गया रास्ता खसरा संख्या 309, 306 दोनों की मेढ पर से नही दिया जा सकता क्योकि उसमे आगे सीमा पर कुआं है जो राजस्व रिकोर्ड मे स्पष्टतया अंकित है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि खसरा संख्या 311 उनके परिवार की भूमि है तथा इसी खसरे मे से प्रार्थीगण आते जाते है। साथ ही विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी न्यायिक दृष्टान्त 2022–23 आरआरटी 282 प्रस्तुत किया गया है जिसमे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित किया गया है कि रास्ते के मामले मे लघुत्तम और नजदीक से नजदीक रास्ता दिये जाने की व्यवस्था है लेकिन उसका तात्पर्य यह नही निकाला जा सकता कि किसी व्यक्ति की जोत मे से रास्ता लेकर भूमि को दो भागों मे विभाजित कर दिया जावे। उक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि खसरा संख्या 309 व 306 की मेढ़ से रास्ता दिये जाने पर उसका खेत दो भागों मे विभाजित हो जाता है। अतः इस स्थान से नया रास्ता नही दिया जा सकता है। अतः रिमाण्ड निर्देशों के अनुरूप पुनः रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

हमने पत्रावली मे सलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 12.05.2025 मे स्पष्टतया अंकित किया गया है कि प्रार्थी के खेते पर पहुचने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

विभिन्न राजस्व न्यायालयों द्वारा बार-बार यह स्थापित किया गया है कि 251 क के तहत नविन मार्ग उन्ही परिस्थितियों मे प्रदान किया जावे जबकि पूर्व से कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध ना हो। तथा सबसे छोटा संभव मार्ग उपलब्ध करवाया जावे।

हमारे विनम्र मत मे उक्त परिस्थितियों मे प्रार्थी नवीन मार्ग प्राप्त करने की अर्हता रखता है।

यह न्यायालय विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी के इस कथन से पूर्णतया सहमत है कि तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 12.05.2025 मे जिस स्थान से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है उस स्थान पर रास्ता प्रदान करने की स्थिति मे अप्रार्थीगण की कृषि आराजी दो भागों मे विभक्त हो जाती है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के संबंध मे तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 12.05.2025 से प्रस्तावित मार्ग प्रदान नही किया जा सकता है।

तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 01.08.2023 मे खसरा संख्या 309 की पूर्वी मेढ से रास्ता प्रस्तावित किया गया था। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा इस पर आक्षेप किया गया था कि प्रार्थी समीपवर्ती खसरा संख्या 311 से आता-जाता रहा है। अतः प्रार्थी को रास्ता खसरा संख्या 311 मे से उपलब्ध करवाया जावे।

संलग्न राजस्व नक्शे से प्रमाणित होता है कि खसरा नम्बर 309 की मेढ के साथ खसरा संख्या 310 स्थित है और खसरा संख्या 310 के कारण खसरा संख्या 311 मे से रास्ता उपलब्ध नही करवाया जा सकता है। अतः हम तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 01.08.2023 मे प्रस्तावित नवीन मार्ग के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः खसरा संख्या 309 की पूर्वी मेढ से खसरा संख्या 717/716 तक जाने के लिए खसरा संख्या 309 की पूर्वी मेढ से खसरा संख्या 715/308 की पूर्वी मेढ़ तक लम्बाई 106 मीटर तथा खसरा संख्या 718/716 की पूर्वी मेढ़ के सहारे-सहारे खसरा संख्या 717/716 तक लम्बाई 28 मीटर व चौडाई 5 मीटर का रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम मार्ग के क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी दर से दुगनी राशी संबन्धित अप्रार्थीगण को उपलब्ध करावे तथा तदोपरांत मार्ग को राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करे। उक्त मार्ग मुख्य मार्ग से प्रारम्भ होकर खसरा संख्या 717/716 तक होगा। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.